जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत जनपद झाँसी में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय, झाँसी की अध्यक्षता में दिनांक 14.12.2022 को आहूत बैठक का कार्यवृत।

दिनांक 14.12.2022 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जनपद झाँसी की जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में निम्नानुसार सदस्य/अधिकारी उपस्थित रहें :-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री जुनैद अहमद	मुख्य विकास अधिकारी, झाँसी।
2	श्री संजय कुमार पाण्डेय	अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झाँसी।
3	श्री सुनील कुमार	जिला विकास अधिकारी, झाँसी।
4	श्री जगदीश राम गौतम	जिला पंचायत राज अधिकारी, झाँसी।
5	श्री रणविजय सिंह	अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्या., उ.प्र. जल निगम, झाँसी।
6	नीलम यादव	बेसिक शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
7	श्री आर.एस. सिंह बादलीवाल	अधि.अभि. झाँसी डिवीजन जल संस्थान, झाँसी।
8	श्री राहुल शर्मा	अधि.अभि., प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, झाँसी।
9	श्री राम रतन	सहा.अभि., अतिरिक्त निर्माण इकाई, उ.प्र. जल निगम, झाँसी।
10	श्री अखिलेश बाबू	सहा.अभि., निर्माण इकाई, उ.प्र. जल निगम, झाँसी।
11	श्री राम अवतार सिंह	डी.सी. मनरेगा, झाँसी।
12	श्री राजेश राठौर	टीम लीडर, टी.पी.आई., झाँसी।
13	श्री श्रीनिवास मिश्रा	टीम लीडर, पी.एम.सी., झाँसी।
14	श्री विजय लोखण्डे	डी.जी.एम., एन.सी.सी., झाँसी।
15	श्री सुमित गुप्ता	प्रोजेक्ट मैनेजर, बी.जी.सी.सी., झाँसी।
16	श्री ओ.वी.एस.एस. मूर्ति	ए.जी.एम., आई.एच.पी., झाँसी।
17	श्री विशाल	प्रोजेक्ट मैनेजर, यूनिप्रो टेक्नो इन्फास्ट्रेक्चर, झाँसी।
18	श्री टीपू सुल्तान	प्रोजेक्ट मैनेजर, दारा इंजीनियरिंग, झाँसी।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो की समीक्षा की गयी। समीक्षा में निम्न बिन्दुओं पर निर्देशित किया गया :-

- **अवशेष 51 ग्रामों के प्राक्कलन विरचित कर यथाशीघ्र स्वीकृत करा लिये जायें, जिससे निर्माणधीन योजनाओं के पूर्ण होने के साथ ही उक्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ हो सकें।**

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झाँसी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जनपद झाँसी में जल संस्थान, झाँसी द्वारा अनुरक्षित ग्रामों में से 16 ग्राम, जल निगम/ग्राम पंचायत द्वारा अनुरक्षित ग्रामों में से 13 ग्रामों में रेट्रोफिटिंग कार्य एवं जनपद झाँसी में छूटे हुये 22 ग्राम कुल 51 नग राजस्व ग्रामों को जल जीवन मिशन के मानक के अनुरूप क्रियाशील करते हुये प्रत्येक परिवार को गृहसंयोजन (Functional House Tap Connections) उपलब्ध कराने हेतु प्राक्कलन विरचित किये जाने प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष जल निगम/ग्राम पंचायत द्वारा अनुरक्षित 13 नग ग्रामों के प्राक्कलन एवं 22 ग्रामों को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्राम समूह समीपवर्ती पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु विरचित 05 नग कुल 20 नग प्राक्कलन (35 ग्राम सम्मिलित) विरचित किये जा चुके है, जो अधीक्षण अभियंता, मंडल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झाँसी तथा मुख्य अभियंता (बुंदेलखंड क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झाँसी द्वारा जांचो/हस्ताक्षर उपरान्त अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झाँसी के पत्रांक 63/एस.टी./नमामि गंगे/2022 दिनांक 08.12.2022 के द्वारा सत्यापन हेतु परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), झाँसी को प्रेषित कर दिये गये है। जल संस्थान, झाँसी द्वारा अनुरक्षित शेष

Scanned with OKEN Scanner

16 ग्रामों के प्राक्कलन विरचन हेतु उच्चाधिकारियों से अनुमति चाही गई है। अनुमति प्राप्त होते ही प्राक्कलन विरचित कर सक्षम स्तर से स्वीकृति एवं धनावंटन हेतु प्रेषित कर दिये जायेगें।

जल संस्थान, झाँसी द्वारा अनुरक्षित एवं संचालित पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, झाँसी द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद झाँसी के ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा 27 नग पेयजल योजनाओं का संचालन/रखरखाव किया जा रहा है, जिनमें कुल 184 ग्राम सम्मिलित है। उपरोक्त योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों में से 84 ग्राम चालू एवं 100 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति बन्द है, जिसपर जिलाधिकारी महोदय, झाँसी द्वारा आदेशित किया गया कि जल संस्थान द्वारा अनुरक्षित योजनाओं में सम्मिलित 84 नग चालू ग्रामों एवं 100 नग बन्द ग्रामों में पेयजल की वस्तु स्थिति से एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झाँसी को आदेशित किया गया।

(कार्यवाही— अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),झाँसी)

- <u>एरच बांध के बन्द निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित पत्र के क्रम में अनुस्मारक प्रेषित करना।</u>

जनपद झाँसी में निर्माणाधीन एरच बांध पर 05 नग पेयजल योजनायें प्रस्तावित है, जिसमें जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 03 नग ग्राम समूह पेयजल योजनायें (बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजना जो डैम से 03 किमी. Upstream में, टेहरका ग्राम समूह पेयजल योजना एवं जनपद जालौन की सला ग्राम समूह पेयजल योजना) जिनमें कुल 425 ग्राम सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त गुरसरांय एवं गरौठा नगर पेयजल पुनर्गठन योजना, राज्य सैक्टर कार्यक्रम तथा जनरल बिपिन रावत, डिफेन्स कॉरिडोर, झाँसी नोड की पेयजल आपूर्ति योजना निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन बांध के बन्द कार्य को शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक 1962/कार्य–92/174 दिनांक 10.10.2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था। परन्तु वर्तमान तक बांध का निर्माण कार्य प्रारम्भ नही कराया गया है, जिसपर एरच बांध का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने हेतु जिलाधिकारी महोदय, झाँसी द्वारा उनके ओर से अनुस्मारक पत्र प्रेषित करने हेतु अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झाँसी को आदेशित किया गया।

(कार्यवाही— अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झाँसी)

- <u>जिला पंचायत राज अधिकारी/डी.सी. मनरेगा को प्रत्येक राजस्व ग्राम में हर घर जल के तहत एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) के लिये पंचायत सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक में किसी एक तथा ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी तय की जायें एवं यह निर्देश दिये जाये कि कोई भी सरकारी भवन एफ.एच.टी.सी. से वंचित न रहें।</u>

जनपद झाँसी में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत समस्त ग्रामों में निर्मित संस्थागत भवनों (जैसे— विद्यालयों/पंचायत भवन/आगनवाड़ी केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ केन्द्रों इत्यादि) में प्राथमिकता के आधार पर एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा उक्त के समुचित क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में तैनात पंचायत सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक को आदेशित करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी, झाँसी को निर्देशित किया गया।

जनपद झाँसी जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के कार्यो की समीक्षा के द्वारा अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झाँसी द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना के कार्यो हेतु अनुबन्धित फर्मो द्वारा एफ.एच.टी.सी. एवं पाईप लाइन बिछाने के कार्य कम श्रमिकों एवं मशीनरी का प्रयोग करते हुये कार्यो को कराया जा रहा है, जिस कारण निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति प्राप्त नही हो रही है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झाँसी द्वारा डी.सी. मनरेगा को आदेशित किया गया है कि ग्राम पंचायतों में सक्रिय श्रमिकों की मोबाईल नम्बर सहित सूची अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम

Scanned with OKEN Scanner

(ग्रामीण), झाँसी को अवलिम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि योजनाओं के कार्यो तथा एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराते हुये योजनाओं को जनोपयोगी बनाया जा सकें।

(कार्यवाही– जिला पंचायत राज अधिकारी, झाँसी/ डी.सी. मनरेगा, झाँसी)

- **रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत निर्माणाधीन रक्सा एवं सिजवाहा ग्राम पेयजल योजना का नियमित अनुश्रवण करते हुये पेयजल आपूर्ति की समस्या का निराकरण कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, झाँसी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायें।**

रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत निर्माणाधीन रक्सा ग्राम पेयजल योजना एवं सिजवाहा पेयजल योजना का नियमित अनुश्रवण करते हुये पेयजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, झाँसी को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, झाँसी)

- **रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत निर्माणाधीन करगुवां, बम्हरौली एवं अम्बरगढ़ ग्राम पेयजल योजना के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों को प्रेषित पत्रों के क्रम में साप्ताहिक अनुस्मारक प्रेषित करने के सम्बन्ध में।**

रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत निर्माणाधीन करगुवां, बम्हरौली एवं अम्बरगढ़ ग्राम पेयजल योजना के निर्माण कार्यो हेतु अनुबन्धित फर्म मैसर्स विद्युत कुमार जैन द्वारा कार्यो की धीमी प्रगति के कारण उच्चाधिकारियों को प्रेषित किये गये पत्रों के क्रम में अनुबन्धित फर्म को साप्ताहिक अनुस्मारक प्रेषित करने एवं निर्माणाधीन रनगुवां ग्राम समूह पेयजल योजना के अवशेष 02 ग्रामों में भी आगामी 02 सप्ताह के अन्दर जलापूर्ति प्रारम्भ कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झाँसी को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झाँसी)

- **जल निगम (नगरीय) द्वारा नगर निगम को कितने जोनों में विभक्त किया गया एवं अमृत कार्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय चरण के उपरान्त सम्पूर्ण नगर संतृप्त होगा अथवा नही की वस्तु स्थिति से अवगत कराये तथा नगर निगम क्षेत्र के समस्त संस्थानों जैसे– मेडिकल कॉलेज, रक्षा संस्थानों, आई.जी.एफ.आर.आई., CAFRI, BIET इत्यादि की तालिकानुसार जल मांग क्या है तथा इसे किस प्रकार पूर्ण कराया जायेगा, अवगत करायें तथा विवरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत समीक्षा बुकलेट में सम्मिलित किया जायें।**

सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अमृत कार्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय चरण में जनपद झाँसी के नगर निगम को 29 जोनों में विभक्त किया गया है, जिसपर जिलाधिकारी महोदय, झाँसी द्वारा आदेशित किया गया है कि विरचित प्राक्कलन में नगर निकायों के समस्त संस्थानों (जैसे– मेडिकल कॉलेज, रक्षा संस्थानों, आई.जी.एफ.आर.आई. CAFRI इत्यादि) की जल मांग को भी सम्मिलित किया जायें, ताकि निकट भविष्य में पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़ें।

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन झाँसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना प्रथम चरण के कार्यो की समीक्षा पर सहायक अभियन्ता, अतिरिक्त निमाण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), झाँसी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में योजना के 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये चुके है तथा योजनान्तर्गत 03 जोनों में पूर्ण क्षमता पर पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन झाँसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना द्वितीय चरण के कार्यो की समीक्षा पर सहायक अभियन्ता, निमाण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), झाँसी द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत निर्माणाधीन 195 एम.एल.डी. क्षमता के वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट का 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण

Scanned with OKEN Scanner

किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है, जिसपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोष व्यक्त करते हुये अवगत कराया गया कि विगत 06 माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार द्वारा उक्त डब्लू.टी.पी. का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसके पश्चात अधोहस्ताक्षरी एवं अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झाँसी द्वारा कार्य स्थल के निरीक्षण के दौरान कार्य की प्रगति बढ़ाने हुये योजना के कार्यों तीव्र गति से कराने हेतु निर्देशित किया गया। परन्तु खेद का विषय है कि वर्तमान में योजना के कार्यों को तीव्र गति से कराने हेतु कोई सार्थक प्रयास अनुबन्धित फर्म/जल निगम (नगरीय) द्वारा नही किये जा रहें, जो अनुबन्ध की सुसंगत धाराओं में इंगित Breach of Trust के अन्तर्गत आता है। अनुबन्धित फर्म को 02 दिवस के अन्दर नोटिस जारी करने हेतु अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झाँसी को आदेशित किया गया तथा यदि अनुबन्धित फर्म द्वारा कार्यो में समुचित प्रगति नही लायी जाती है तो 15 दिवस में पुनः अनुबन्धित फर्म को नोटिस जारी करने करने तथा अनुबन्धित फर्म द्वारा प्रस्तुत वर्क प्लान के अनुसार 15 जनवरी, 2023 को कार्य स्थल का निरीक्षण करने तथा निर्धारित उक्त अवधि तक योजना में समुचित प्रगति नही लायी जाती है, तो अनुबन्धित फर्म के मालिक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झाँसी को आदेशित किया गया।

राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन गुरसरांय गरौठा नगर पेयजल पुनर्गठन योजना के कार्यों की समीक्षा करने पर सहायक अभियन्ता, निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), झाँसी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में योजना के 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जा चुके है तथा माह अप्रैल–2023 योजना के शत–प्रतिशत कार्यो को पूर्ण कर लिया जायेगा।

(कार्यवाही– परि0 प्रब0, नि0ई0 उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)/अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, झाँसी)

अन्ततः धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

अनुमोदित

अधिशासी अभियंता
उ0प्र0 जल निगम, झांसी
सचिव जिला पेयजल स्वच्छता मिशन

जिलाधिकारी, झांसी
अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

कार्यालय अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झाँसी।

पत्रांक– 2569 /एस0टी0/नमामि गंगे/कार्यवृत/2022/M/28/204 दिनॉक 15 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1– मा0 प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति उ0 प्र0 लखनऊ।
2– अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
3– मुख्य विकास अधिकारी, झाँसी।
4– सभी सम्बंधित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियंता
उ0प्र0 जल निगम, झांसी
सचिव जिला पेयजल स्वच्छता मिशन

Scanned with OKEN Scanner